न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	42/2016
सरकार	बनाम	हरबाई पत्नी स्व0 रड़मल, जाति–जाट, निवासी– महपालवास वगैरह

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 05.08.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान हरबाई पत्नी स्व0 रड़मल, मानसिंह, ख्याली, रामनिवास, अबन कुमार पि. रड़मल, जाति–जाट, निवासी–महपालवास द्वारा रोही मौजा महपालवास की राजकीय भूमि ख.नं. 667/505 के कुल रकबा 0.456 है0 किस्म गै.मु. रास्ता पर, खाई खोदकर, छड़िया डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसके संलग्न माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के मु.नं. 138/2015 की छाया प्रति पेश की, जिसमें विवादित आराजी की आज की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश जारी किये गये थे। चूंकि सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नही था। दिनांक 05.08.2020 को गैर सायलान की ओर से माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर में दायर अपील संख्या 138/2015 उनवान हरबाई बनाम मामनसिंह के निर्णय दिनांक 11.03.2020 की प्रति पेश की गई। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 11.03.2020 में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवेकाधीन निर्णय अपास्त कर दिया गया है। चूंकि प्रश्नगत रास्ता ख.नं. 667/505 रकबा 0.456 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के मु.नं. 138/2015 मामनसिंह बनाम हरबाई वगैरह अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 782 दिनांक 26.10.2015 से राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.03.2020 द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 15.09.2015 को अपास्त किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णय की पालना में कटानी दर्ज किया गया रास्ता भी अपास्त हो चुका है। अतः वर्तमान स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण गै.मु. कटानी रास्ते की राजकीय भूमि का नही रह गया है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नही होने से गैर सायलान के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती हैं मिसल फैसल नम्बर से कम की जाकर दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़